



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 03, गुरुवार, शाके 1944-अगस्त 25, 2022
Bhadra 03, Thursday, Saka 1944- August 25, 2022

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 30, 2022

संख्या प.8(क)(या)()डीएलबी/21/14369:-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर की राशि एक मुश्त जमा कराने पर शास्ति में प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के लिए निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कर का नाम	दिनांक 01.07.2022 से 31.03.2023 तक जमा कराने पर
1.	गृह कर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय@व्यावसायिक भूखण्ड@भवनों का गृहकर एकमुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट।
2.	नगरीय विकास कर	वर्ष 2022-23 तक का एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में शास्ति की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट।

नोट:- उक्त छूट की अवधि दिनांक 01.07.2022 से 31.03.2023 तक प्रभावी रहेगी एवं पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा तथा जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

37

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।